0809056

पत्रसं0-चे0पो0-25क-पारगमन प्राधिकार पत्र व्यवस्था/2008-2009/ /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 25 अगस्त, 2008

समस्त

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्यकर अधिकारी,

जांच चौकी / सचल दल

वाणिज्यकर, उ0प्र0।

Key word 1-30-Transit Pass

प्रदेश महामंत्री सर्वश्री उत्तर प्रदेश टैन्ट व्यापारी एसोसियेशन (रजि0) बरेली के द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिया गया है कि उ0प्र0 टेन्ट व्यापारी एसोसियेशन का अष्टम महाधिवेशन 27 व 28 अगस्त 2008 को बरेली मे आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन मे उ0प्र0 के बाहर के व्यापारी इनके उत्पादो को प्रदर्शन हेतु बरेली लाया जायेगा तथा प्रदर्शन के बाद इन्हे पुनः वापस ले जाया जायेगा।प्रांत मे इनकी कोई बिक्री नही की जायेगी।

इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के बाहर से आने वाले निम्न व्यापारियों के द्वारा प्रदेश बाहर से प्रदर्शनी के लिए माल लाने तथा वापिस ले जाने से सूचित किया गया है :-

1- श्री कृष्णा टैन्ट फर्नीचर्स, दिल्ली।
2- विजय स्टील, लुधियाना (पंजाब)।
3- सुप्रीम इण्डस्ट्रीज, करनाल (हरियाणा)।
4- आर0एस0 पेपर्स, दिल्ली।
5- ए0वी0एस0 पेपर्स, दिल्ली।
6- जे0जे0 फर्नीचर, बड़ौदरा (गुजरात)।
7- जी0के0 स्टील इण्डस्ट्रीज, लुधियाना।
8- जे0जे0 सन्खेड़ा फर्नीचर, गुजरात।

प्रत्यावेदन में इन आने वाले व्यापारियों को प्रदर्शनी हेतु अपना माल लाने तथा प्रदर्शनी के बाद माल वापिस ले जाने की व्यवस्था निर्धारित करने अनुरोध किया गया है।

प्रदेश महामंत्री सर्वश्री उत्तर प्रदेश टैन्ट व्यापारी एसोसियेशन के प्रत्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रदर्शनी में जो व्यवसायी भाग लेने के उद्देश्य से अपना सामान लेकर प्रांत बाहर से आये तो इस प्रदर्शनी के लिए लाने वाले माल के संबध मे एसोसियेशन के अध्यक्ष /महामंत्री के हस्ताक्षर से जारी /प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र जारी कर दिया जाये तथा प्रदर्शनी के समाप्त होने पर वापस प्रांत बाहर जाते समय नियमानुसार पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया जाये।चूंकि प्रकरण में प्रवेश जांच चौकी और निर्गमन जांच चौकी एक ही रहेगी अतः पारगमन प्राधिकार पत्र जारी और खारिज करते

समय लाये जा रहे एवं वापस ले जाये जा रहे माल के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जांच चौकी के अधिकारियो की रहेगी । पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज न होने पर अथवा प्रांत के अंदर माल की बिक्री किया जाना पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाये । पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज करने हेतु 15 दिन का समय दिया जा सकता है ।इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले व्यवसाईयों को जिस वाणिज्य कर जांच चौकी से पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे उसी वाणिज्य कर जांच चौकी को निर्गमन जांच चौकी के रूप में उक्त संबध में कार्यवाही करना होगा ।प्रदर्शनी हेतु लाये गये माल की बिक्री नही की जायेगी एवं समस्त माल प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद वापस ले जाया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

2- प्रदेश महामंत्री सर्वश्री उत्तर प्रदेश टैन्ट व्यापारी एसोसियेशन (रजि0) बरेली को इस अनुरोध के साथ की कृपया प्रदर्शन मे भाग लेने वाले व्यवसाइयो को संदर्भित समाग्री लाने के विषय मे प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे जिससे व्यवसाईयो द्वारा जांच चौकियों पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रात के अन्दर लाये जाने वाले माल के संबध मे पारगमन प्राधिकार पत्र जारी व वापसी के समय खारिज किया जा सके ।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।

4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (चेकपोस्ट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

6- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल) वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

7- चेकपोस्ट अनुभाग को 05 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(एस0 पी0 सिंह)
डिप्टी कमिश्नर (चे0पो0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ